आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

भूमि विवाद निराकरण अपीलवाद सं0-01/2024

विरन देवी एवं अन्य

बनाम्

रूदल रावत एवं अन्य

आदेश

05.04.2024

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को ग्रहण के बिन्दु पर विस्तारपूर्वक सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत खाता सं0-984, खेसरा सं0-5594, रकबा 1 कट्ठा 7 धूर भूमि मूल रूप से खतियानी रैयत पलटू अहीर की थी। पलटू अहीर द्वारा उक्त भूमि मरई रावत को तथा मरई रावत द्वारा उक्त भूमि भरत प्रसाद को निबंधित बैनामा के द्वारा बेचा गया। भरत प्रसाद की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी द्वारा प्रश्नगत भूमि दो अलग-अलग के माध्यम से बेची गयी, जिसमें से एक हिस्सा सेल डीड अपीलकर्ता सं0-01, विरन देवी के पति अपीलार्थी सं0-04, राम प्रवेश प्रसाद को बेचा गया, जिसपर अपीलार्थी का पक्का मकान बना है। परन्तु विपक्षीगण द्वारा फर्जी वंशावली तैयार कर उप समाहर्ता, भूमि सुधार, महाराजगंज के समक्ष B.L.D.R. वाद दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा फर्जी वंशावली के आधार पर दायर वाद को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता के निबंधित सेल डीड पर विचार नहीं किया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि निबंधित सेल डीड को अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है, इसके लिए व्यवहार न्यायालय सक्षम प्राधिकार है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कथन तथा याचिका में उल्लेखित कथनों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा वांछित अनुतोष राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत वाद को इस स्तर पर सुनवाई योग्य नहीं पाते हुए उसका निस्तार किया जाता है। अपीलकर्त्ता यदि चाहे तो सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner